संख्या-985/2018/1835/22-2-2018-17(806)/2017

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गुरूमुख पुत्र श्री जसवंत सिंह, निवासी जनपद-दिल्ली की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-31595/प्रोबे0-5-दया0 **(**दिनांक 07.08.2018**)** दिनांक 06-09-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी गुरूमुख पुत्र श्री जसवंत सिंह, जो नि0-111ए**,** साउथ अनारकली एक्शटैंशन**,** थाना-कृष्णानगर, जनपद-दिल्ली का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दहेज को लेकर दिनांक 22.10.1996 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गला दबाकर 01 महिला की हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1199/1998 में भा0द0वि0 की धारा-302**,** 498ए व 3/4 दहेज प्रतिरोध अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश**,** कोर्ट संख्या-06**,** गाजियाबाद के आदेश दिनांक 20.07.2006 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया**,** जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.06.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.10.2017 तक 11 वर्ष 03 माह 02 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 08 माह 14 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस उपायुक्त दिल्ली द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया गया है। लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु**,** कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गुरूमुख (बन्दी संख्या-16779) पुत्र श्री जसवंत सिंह, निवासी जनपद-दिल्ली की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-985/2018/1835(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कृष्णानगर, दिल्ली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in